

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत,  
सैदपुर-बदायूं।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2165/न0प0सैदपुर/2016-17 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-6693/नौ-5-2014-108बजट/2014 दिनांक 10.12.2014 द्वारा नगर पंचायत, सैदपुर जनपद बदायूं में सड़क सुधार कार्य हेतु द्वितीय किशत के रूप में निर्गत धनराशि रु. 26.91 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 2017 तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(अजय कुमार ओझा)

अनु सचिव।

संख्या-927(1)/नौ-5-2017-45बजट/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बरेली।
3. जिलाधिकारी, बदायूं।
4. कोषाधिकारी, बदायूं।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, नगर पंचायत, सैदपुर जनपद बदायूं।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)

अनु सचिव।

8